महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत महिला पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जागरूक-

आज दिनांक- 07.08.2025 को *मिशन शक्ति फेज-5* के अंतर्गत महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी प्रभारी म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा की *एंटी रोमियो टीम* द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत जीजीआईसी स्कूल में जाकर स्कूली छात्राओं से परस्पर संवाद कर उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया एवं उनसे सम्बन्धित संभावित समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तृत वार्ता की गयी। इसी क्रम में कस्बा चरखारी में महिलाओं एवं बालिकाओं को **नारी सुरक्षा** एवं **महिला सशक्तिकरण** के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

इस दौरान सभी को महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी एवं थाना चरखारी में स्थापित **महिला हेल्प डेस्क** की भूमिका व कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। स्कूली छात्राओं, महिलाओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर किसी ने कोई समस्या नहीं बताई।

इस कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं, जैसे *कन्या सुमंगला योजना*, के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

थाना प्रभारी चरखारी ने सभी से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर या महिला हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं एवं महिलाओं को निम्न *हेल्पलाइन नंबरों* की जानकारी दी गई —

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
1076 – मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्प लाइन
1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
102 – स्वास्थ्य सेवा
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098** – चाइल्ड हेल्प लाइन **181** – महिला हेल्प लाइन

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी हुई सम्पन्न...।

बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश...।

जनपद महोबा में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से दिनांक- 06.08.2025 की देर रात्रि में पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी पुलिस लाइन महोबा में सम्पन्न हुई।

गोष्ठी में सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा ने पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जनपद की कानून व्यवस्था, पुलिस बीट प्रणाली, यातायात प्रबंधन एवं निरोधात्मक कार्यवाहियों की गहन समीक्षा की गई।

SPEL कार्यक्रम में जनपद को टॉप-10 रैंक- Student Police Experiential Learning कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनपद महोबा को प्रदेश स्तर पर टॉप-10 रैंक प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के लिए अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वंदना सिंह को पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है, यह प्रशस्ति पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती वन्दना सिंह को भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं टीम के समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

कजली मेला- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक **ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव** की भव्य तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा सुदृढ सुरक्षा एवं बेहतर कानून व्यवस्था हेतु किये जाने वाली विभिन्न तैयारियों की गहन समीक्षा की गयी है।

बैठक में मेला क्षेत्र में सुदृढ सुरक्षा एवं बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु व्यापक पुलिस प्रबन्ध किये जाने के निर्देशों के साथ ही सम्बन्धित विभाग से बेहतर साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, ट्रैफिक प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी जनसुनवाई और बीट पुलिसिंग को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी बड़ी घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ऑपरेशन क्लीन के तहत थानों में वर्षों से जमा वाहनों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किए जाने और आमजन के बीच जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

ड्रोन सुरक्षा नीति के तहत संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए कठोर निरोधात्मक कार्यवाहियों को गति देने पर जोर दिया गया। वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्क किया जाए। अभियोजन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लंबित आपराधिक मामलों में प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनसुनवाई के संबंध में यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना जाए तथा विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना बनी रहे।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह सहित जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, जिला होमगार्ड कमाण्डेंट, अभियोजन अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी एवं शाखा प्रभारी एवं अन्य सम्बन्धित अधि./कर्म.गण मौजूद रहे।

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत
“परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी के सदस्यों ने
01 परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांकः- 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना श्रीमती प्रभा पाण्डेय की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 09 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान उ0नि0 गयास अहमद, म0कां0 रेखा देवी, म0का0 अनुप्रिया सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्री रामजी गुप्ता, श्री मोहम्मद हनीफ, श्री सुरेश जायसवाल, श्रीमती अंशू शिवहरे आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

साइबर जागरूकता अभियान - जनपद महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में, जनपद महोबा में आज दिनांक- 07.08.2025 को जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीम द्वारा वृहद स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है।

जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं सामाजिक संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रमुख साइबर अपराध एवं बचाव उपायों के बारे में आमजन को जानकारी दी गई, जिनमें शामिल हैं:

फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, ऑनलाइन स्कैम, डार्क पूल फ्रॉड, डीपफेक, UPI फ्रॉड, क्रिप्टो धोखाधड़ी आदि से जुड़ी ठगी के तरीके एवं उनसे बचाव।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना, मजबूत पासवर्ड व 2FA का प्रयोग, एंटीवायरस अपडेट, साइबर हेल्पलाइन 1930 व वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करना जैसे सुझाव प्रदान किए गए।

प्रमुख कार्यक्रम:

थाना कोतवाली नगर: ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में छात्रों को साइबर अपराधों पर जानकारी दी गई।
थाना खरेला: गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को साइबर जागरूकता प्रदान की गई।
थाना अजनर: छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय समझाए गए।
थाना पनवाड़ी: विवेकानंद इंटर कॉलेज में पंपलेट वितरण एवं चौराहों पर जनजागरूकता।
थाना चरखारी: रिवई स्थित मॉडल इंटर कॉलेज में साइबर अपराधों पर जानकारी दी गई।
थाना श्रीनगर: राजकीय इंटर कॉलेज में साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता।
थाना कबरई: मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं को साइबर अपराध, महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया।
थाना खन्ना: ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज व कस्बा क्षेत्र में जनचौपाल द्वारा व्यापक जागरूकता।
थाना कुलपहाड़: जनतंत्र इंटर कॉलेज सभागार में छात्र/छात्राओं को साइबर जागरूकता प्रदान की गई।
थाना महोबकंठ: राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ग्राम कनकुआ में छात्रों को साइबर अपराधों पर जानकारी दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ, जिससे आमजन विशेषकर युवा वर्ग, महिलाएं एवं तकनीकी रूप से कम जानकार नागरिक साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें।

ध्यान दें संदेह होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। अपनी निजी जानकारी कभी भी किसी अज्ञात लिंक या व्यक्ति से साझा न करें।

जनपद पुलिस महोबा – आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 रामबाबू यादव के के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ के द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट के वारण्टी राजा उर्फ अखण्ड प्रताप पुत्र रूप सिंह यादव निवासी टपरन थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 559/18 , अ0स0 866/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ व मु0नं0256/2019,अ0सं0 132/2017 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ को चेकिंग के दौरान ग्राम टपरन से नियमानुसार गिरफ्तार किया है, गिऱफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ रामबाबू यादव 0नि0
2. का उमाशंकर यादव 0

गिरफ्तार अभियुक्त -

राजा उर्फ अखण्ड प्रताप पुत्र रूप सिंह यादव उम्र 42 वर्ष निवासी टपरन थाना महोबकंठ जनपद महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के जिलाबदर अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाबदर/पुरस्कार घोषित/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रचलित अभियान “ऑपरेशन धरपकड़” के तहत आज दिनांक- 07.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बिलरही से आगे श्रीनगर रोड दिवानशाह बाबा के पास वहद ग्राम बिलरही थाना क्षेत्र श्रीनगर से 01 नफर जिलाबदर अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम डिगरिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा को वाद संख्या 175/2024 कम्प्यूटरी कृत वाद संख्या D202407480000175 के उल्लघंन करने/ जनपद की सीमा में पाये जाने पर जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया दौराने गिरफ्तारी अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । जिला बदर नियमों का उलंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 155/25 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट व बरामद नाजायज तमंचा कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 156/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट् पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

भूपेन्द्र सिंह यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम डिगरिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी विवरण- 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टींम -

1. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
2. का0 राघवेन्द्र सिंह 3. का0 श्रीकांत

अपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 71/21 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधि0 व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम
2.मु0अ0सं0 178/22 धारा 325/323/504 भादवि थाना श्रीनगर
3.मु0अ0सं0 29/23 धारा 325/323/504 भादवि थाना श्रीनगर
4.मु0अ0सं0 67/24 धारा 186/323/353/504/506 भादवि थाना श्रीनगर
5. मु0अ0सं0 01/24 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना श्रीनगर

कजली मेला महोत्सव को लेकर मण्डलायुक्त एवं डीआईजी चित्रकूटधाम बांदा द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं के लिए दिए गए आवश्यक निर्देश

बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव की भव्य तैयारियों की समीक्षा हेतु आज दिनांक- 07.08.2025 को मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम श्री अजीत कुमार एवं डीआईजी चित्रकूटधाम श्री राजेश एस. द्वारा आज जनपद महोबा के मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती गजल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह तथा जनपद के समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही।

निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त एवं डीआईजी ने मेले की सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए व्यापक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।

उच्चाधिकारियों ने मेला प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और समुचित सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया कि मेला स्थल के भीतर वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाये। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारण किया जाए और यातायात डायवर्जन प्लान बनाकर यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखा जाये।

पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह ने मण्डलायुक्त एवं डीआईजी महोदय को आश्वस्त किया कि मेले के सफल एवं सुरक्षित आयोजन हेतु पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा बल, एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

इस निरीक्षण के अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री रामप्रकाश, अपर जिलाधिकारी श्री मुइनुल इस्लाम, उपजिलाधिकारी सदर श्री शिवध्यान पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री विषय देव बुंदेला, प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह, सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 15-15 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 15-15 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2020 धारा 452/376डी/506 भादवि व 06 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्तगण 1. जयचन्द्र पुत्र गोकुल 2. शिवानन्द पुत्र ग्यासी निवासीगण भटेवरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 15-15 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा